उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या- 326/2015/2104/38-1-2015-5टी0आर0/2014

लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-282/2015/1939/38-1-2015-5टी0आर0/2014, दिनांक 22.07.2015 द्वारा श्री प्रवीण कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, शामली को स्थानान्तरित करते हुए जनपद रामपुर में तैनात किया गया । श्री प्रवीण कुमार वर्मा द्वारा शासन के उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका सं0-1110 (एस0बी0)/2015 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2015 को आदेश पारित किये गये है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है:-

In view of above, we have no option except to proceed further to decide the matter finally.

This fact has not been disputed by the respondents that the petitioner was posted at district Shamli in the month of December, 2015 and just after six months, he has been transferred at district Rampur by the impugned order without assigning any reason.

Therefore, we, hereby, quash the impugned transfer order dated 22.07.2015 passed by the opposite party no.2 and allow the writ petition.

It is clarified that the order passed by this Court shall be operative till the enforcement of the new transfer policy.

3- मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 के क्रम में श्री वर्मा ने पत्र दिनांक 12.08.2015 द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.07.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में श्री वर्मा द्वारा किये गये उपरोक्त अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.07.2015 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा श्री वर्मा पूर्व की भांति अपने पद पर जनपद-शामली में कार्य करते रहेगें। तद्नुसार श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 12.08.2015 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

उमा कान्त मिश्र

उप सचिव

<u>संख्या-326/2015/ 2104(1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।

(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, शामली/रामपुर।

(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, शामली/रामपुर ।

(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, शामली।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in